



प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-7****लखनऊ: दिनांक 09-01-2026**

**विषय:** वित्तीय वर्ष 2025-26 में धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत जनपद संतकबीर नगर में गिरधरपुर से तामेश्वर धाम शिवमंदिर होते हुए एन०एच०-328ए तक मार्ग का 02 लेन/04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 4.30 कि०मी०) कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र संख्या-286/पी०जे०11/15पी०जे०25, दिनांक 03-10-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में धर्मार्थ योजनान्तर्गत जनपद संतकबीर नगर में गिरधरपुर से तामेश्वर धाम शिवमंदिर होते हुए एन०एच०-328ए तक मार्ग का 02 लेन/04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 4.30 कि०मी०) कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त परियोजना की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-177/2025/939/001-23-6099-099-127-2025, दिनांक 31.03.2025 द्वारा रूपये 805.26 लाख की प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की लागत में परिवर्तन के दृष्टिगत व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत **रु० 4554.01 लाख ( रूपये पैतालीस करोड चौवन लाख एक हजार मात्र )** की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु० लाख में)

| क्रम सं० | जनपद        | कार्य का नाम                                                                                                                                                                     | स्वीकृत लागत | पुनरीक्षित लागत |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1        | 2           | 3                                                                                                                                                                                | 4            | 5               |
| 1        | संतकबीर नगर | जनपद संतकबीर नगर में गिरधरपुर से तामेश्वर धाम शिवमंदिर होते हुए एन०एच०-328ए तक मार्ग का 02 लेन/04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 4.30 कि०मी०) कार्य का पुनरीक्षित आगणन। | 805.26       | 4554.01         |

**नियम व शर्तें/प्रतिबंध**

- (1) मुख्यालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी मुख्यालय की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) मुख्यालय द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके मुख्यालय द्वारा जमा की जायेगी।
- (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (9) मूल्यहास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।
- (10) मुख्यालय द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
- (11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
- (12) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।
- (13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
- (14) मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विगुणित (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (16) मुख्यालय द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (17) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में मार्ग निर्माण में 60 अदद विक्टोरिया लाइट पोल का प्रावधान किया गया है, जोकि मार्ग निर्माण में उच्च विशिष्टि के अन्तर्गत आता है। अतः मुख्यालय द्वारा यथा आवश्यकतानुसार उक्त कार्यमद पर व्यय करने से पूर्व लोक निर्माण अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-177/2023/184ई/23-11-2023-773ई/2023, दि० 08 जून, 2023 के अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
- (18) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति एवं भवनों का ध्वस्तीकरण के उपरान्त निर्विवादित भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् ही प्रायोजना का निर्माण कार्य कराया जाना अपेक्षित है।
- (19) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

- (20) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/ दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किशतें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें।
- (21) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में प्रस्तावित कन्टीजेन्सी मद में प्रावधानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा।
- (22) प्रायोजनान्तर्गत अपूर्ण कार्यों पर 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। मुख्यालय का दायित्व होगा कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही मुख्यालय का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रेट/मौरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (23) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भूमि अध्याप्ति (3.66 हेक्टेयर) हेतु रू0 1242.16 लाख व भूमि अधिग्रहण भवन क्षेत्र हेतु रू0 473.74 लाख का प्रावधान किया गया है। मुख्यालय द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति / अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाये।
- (24) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भवनों के भवन पुनर्वास (ध्वस्तीकरण/मुआवजा) हेतु रू0 216.99 लाख का प्रावधान किया गया है। मुख्यालय द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (25) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में यू०पी०पी०सी०एल० कार्यों हेतु रू0 33.25 लाख, वन विभाग पेड़ कटाई हेतु रू0 4.10 लाख का प्रावधान किया गया है। मुख्यालय द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग से सम्बन्धित कार्यों का Verification & revalidation स्वयं करते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर सुनिश्चित किया जाये।
- (26) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, उसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
- (27) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों से तकनीकी स्वीकृति, स्वामित्व का प्रमाण-पत्र तथा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र मुख्यालय द्वारा प्राप्त किया जाये तथा बचत धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाये।
- (28) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, कस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं०-058 लेखा शीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़के, 337-सड़क निर्माण कार्य, 12-एक मुश्त व्यवस्था, 1200 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-797-X-2025-26, दिनांक 09 जनवरी, 2026 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
अभिषेक गंगवार  
अनु सचिव।

### **संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1) निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
- 2) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 4) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 5) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6) मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9) सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 10) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
- 12) राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र० शासन।
- 13) अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 14) लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ०प्र० शासन।
- 15) नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 16) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
अभिषेक गंगवार  
अनु सचिव।